न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 237/2021(2021/00237)

मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह आयु 67 वर्ष जाति जटसिख निवासी मकान नंबर आई ब्लॉक 79 मिनी सचिवालय हनुमानगढ जं0 तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8

बनाम

1. मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मदन सिह पुत्र. श्री गुरदेव सिह
3. रमन दीप सिंह } पुत्रगण श्री मदन सिह
4. प्रीत पाल सिंह } पुत्रगण श्री मदन सिह
5. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिह
6. मनदीप सिह पुत्र श्री जसविन्द्र सिह
7. सर्वजीत कोर धर्मपत्नी श्री जसविनद्र सिह
8. सोहन सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह
9. गुरजण्ट सिह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह
10. दर्शन सिह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह
11. हरदम सिंह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह
12. सिकन्दर सिंह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह
13. हरविन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री हरदीश सिंह
14. कुलदीप सिह पुत्र श्री सुखमहेन्द्र सिंह

(क्रम 2 से 14) जाति जटसिंह निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

15. इन्द्रा देवी धर्मपत्नी श्री धर्म सिंह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
16. जसपाल सिंह पुत्र श्री जगजीत सिह
17. सुरजीत कौर धर्म पत्नी श्री जगजीत सिंह
18. विरेन्द्र कौर } पुत्रियॉ श्री जगजीत सिह
19. वीरपाल कौर } पुत्रियॉ श्री जगजीत सिह
20. भूपेन्द्र कौर } पुत्रियॉ श्री जगजीत सिह
21. जसपाल कौर पत्नी करतार सिंह
22. निर्मल सिंह } पिसरान श्री करतार सिह
23. केवल सिंह } पिसरान श्री करतार सिह
24. अंग्रेज सिह } पिसरान श्री करतार सिह
25. अमरीका कौर } पिसरान श्री करतार सिह

(क्रम 16 से 25) जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

Lo/o

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

26. कुलदीप कौर पुत्री करतार सिंह
27. मनदीप कौर पुत्री करतार सिंह
28. सन्ता पुत्र श्री देवा सिंह
29. स्वर्ण सिंह उर्फ बिलू सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह
30. सुलोचना पत्नी हरीश चन्द्र
31. सुशीला देवी पत्नी श्री धर्मवीर
32. मन्जू देवी पत्नी श्री रमन
33. गुरमेल कौर
34. विमला } पुत्रियां श्री रूड़ सिंह
35. प्रकाश कौर
36. बन्तो देवी पत्नी श्री धनीराम
37. शान्ति देवी पत्नी धनीराम
38. जगजीवनराम पुत्र धनीराम
39. पिसर रानी } पुत्रीयां धनीराम
40. रिशी देवी
41. चुनी देवी पुत्री श्री काशीराम
42. हंसराज पुत्र श्री बक्शीराम
43. निरंजनदास पुत्र श्री बक्शीराम

} जाति जटसिंह निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

44. जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री हरनाम सिंह (फौत)

44/1 इकबाल सिह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/2 करणी सिह पुत्र स्व0 श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/3 विजय सिंह पुत्र स्वच0 श्री हरदेव सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/4 छिन्द्रपाल कौर पत्नी श्री स्व0 श्री राजवीर सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/5 अजयपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री राजवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/6 चन्द्रप्रीत कौर पुत्री स्व0 श्री राजवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/7 कौर सिह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

45. जसविन्द्र सिह पुत्र श्री सिकन्दर सिह
46. जगविन्द्र सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिह
47. रणजीत सिंह पुत्र श्री बुटासिंह
48. छिन्द्र कौर पुत्री जय सिह
49. वीरो कौर पुत्र श्री जय सिह
50. छोटो कौर पुत्री जय सिंह
51. बिन्द्र कौर पुत्री जय सिह
52. भोला कौर पुत्री जय सिह
53. रानी देवी पुत्री श्री जय सिंह
54. हाकम सिंह पुत्र श्री बग्गा सिह
55. अमरजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिह
56. दर्शन सिह पुत्र श्री दयाल सिह
57. गुरनायब सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह
58. काला सिह पुत्र श्री लाभ सिंह

(45 से 58 तक) जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

59. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक
60. ओरियण्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक
61. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमागनढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021, प्र. सं. 414/2019
अनवान मिठू सिंह बनाम मदन सिह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

उपस्थितः—
श्री लालचन्द्र वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 61

निर्णय दिनांक 20.5.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोण्डेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन हेतु एक वाद राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 1 बी.जी.पी. के खाता संख्या 50/28 सम्वत 2068—2071 तादादी 6.433 है0 में उसका 0.379 है0, चक 1 बी.जी.पी. के खाता संख्या 57/54 सम्वत 2068—2071 तादादी 1.126 है0 में उसका 0.367 है0, व चक 4 बी.जी.पी. के खाता संख्या 89/73 सम्वत

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

2070–73 तादादी 5.047 है0 में उसका 2.5235 है0 व 8 बी.जी.पी. के खाता संख्या 17/18 सम्वत 2069'72 तादी 4.873 है0 में उसका 0.548 है0 व चक 8 बी.जी.पी. के खाता संख्या 26/30 सम्वत 2069–72 तादादी 5.010 हैक्टेयर में उसका 0.194 है0 तथा चक 8 बी.जी.पी. के खाता संख्या 28/36 सम्वत 2069–72 तादादी 16.702 है0 में उसका 1.012 इस प्रकार कुल 5.023 है0 अर्थात 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का कथन किया। यह भी कथन किया कि घरू बंटवारा के अन्तर्गत उसके कब्जा काश्त में सिर्फ चक 4 बी.जी.बी. के खाता संख्या 89/73 तादादी 5.047 है0 पर ही कब्जा है तथा बंटवारा के दिवस से वह बिना किसी रोकटोक व बाधा निरंतर कब्जा काश्त वादी ने चक 4 बीजीबी के खाता संख्या 89/73 तादादी 5.047 है0 के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हुए शेष खातों में अपना नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया एवं उसका खाता अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जो कि अपीलाण्ट का सगा भाई है इस तथ्य की जानकारी रही है कि अपीलांट स्थाई रूप से हनुमानगढ जंक्शन में निवास कर रहा है के बावजूद वादपत्र में अपीलांट का पता गलत रूप से ढाबां का दर्शाया तथा इस गलत पता पर रजिस्टर्ड डाक सम्प्रेषित किये हैं। अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष अपीलांट को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक की ना तो कोई पावती रसीद आई व ना ही मूल रजिस्टर्ड लिफाफा लौटकर आया अपीलांट का पता सही प्रस्तुत करने के निर्देश न देकर सीधे ही प्रतिस्थापित तामील के आदेश फरमा दिये। तामील की यह प्रक्रिया आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। कथित किसी बंटवारा के आधार प्राप्त होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं हुई है। कथित घरू बंटवारा कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है कि किस किस पक्षकार के मध्य बंटवारा हुआ था। बिना किसी साक्ष्य के रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के हक हिस्सा की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चक 1 बी.जी.पी. के खाता संख्या 50/28 खाता संख्या 57/54 तथा चक 8 बी.जी.पी. के खाता संख्या 17/18, 26/30, 28/36 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कलमजन कर अपीलाण्ट का हिस्सा बढाये जाने के आदेश भी कतई गलत व विधि विरूद्ध है। वस्तुत खाता संख्या 54 में अपीलांट की कोई भूमि ही नहीं था इस प्रकार उक्त खातों में [illegible] नहीं थ तो अपीलांट तो उसका हिस्सा बढाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न [illegible]। रेस्पोडेंण्ट ने अनुचित उदेश्य की पूर्ति हेतु दीगर खातों में अपना [illegible] कलमजन [illegible]कर उसके स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज करवाने का षड़यन्त्र [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय को विभिन्न खातों की भूमि को टुकड़ों में बांटने कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना हेतु प्राथमिक डिक्री पारित होनी आवश्यक थी जो नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थी। जानकारी होते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के सम्मन राजस्व रिकार्ड में जो पता दर्ज है उसी पते पर भिजवाये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को साधारण सम्मन एवं जरिये रजिस्टर्ड एडी तथा जरिये अखबार में साया सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में तीनों प्रावधानों से तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट सेवा निवृत कर्मचारी है जो पढा लिखा व्यक्ति है तथा अपीलाण्ट स्वयं द्वारा बैंकके समक्ष कृषि भूमि रहन रखते समय धारा 6 (1) के प्रपत्र में अपना व अपनी पत्नी का पता ढाबां गांव अंकित किया है, जिस बाबत अपीलाण्ट स्वयं का एडमिशन है। रेस्पोडेण्ट का घरू बंटवारा के अन्तर्गत उसके कब्जा काश्त में सिर्फ चक 4 बी.जी.बी. के खाता संख्या 89/73 तादादी 5.047 है0 पर ही कब्जा है तथा बंटवारा के दिवस से वह किसी रोकटोक व बाधा के उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने चक 4 बीजीबी के खाता संख्या 89/73 तादादी 5.047 है0 के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हुए शेष खातों में अपना नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया एवं उसका खाता अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रश्गनत भूमि पर कब्जा काश्त के संबंध में 2004 से लेकर 2020 तक की गिरदावरीयां व सिंचाई विभाग द्वारा जारी सिंचाई की पर्चीयां प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर अपने कब्जा काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ना ही कोई कथन किये हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट किस प्रकार से प्रभावित है यह अपीलाण्ट ने अपनी अपील में नहीं बताया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर रेस्पोडेण्ट के हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की । अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील कानिस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते हुए खातों में अपना नाम भी शेष हिस्से से कलमजन किये जाने का निवेदन किया एवं उसका खाता अलग कायम करने का अनुतोष मांगा, जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट [illegible] निवृत कर्मचारी है और कई वर्षों से हनुमानगढ जं0 के मिनी सचिवालय सैक्टर [illegible] ब्लॉक नम्बर 79 में कई वर्षों से निवास करता है। उसका पता [illegible] का दर्शाया गया है। जबकि रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाण्ट गांव [illegible] में ही निवास करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को साधारण सम्मन एवं जरिये रजिस्टर्ड एडी तथा जरिये अखबार में साया सीपीसी के प्रावधानों के अनुसण में तीनों प्रावधानों से तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट स्वयं द्वारा बैंक के समक्ष कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रहन रखते समय धारा 6 (1) के प्रपत्र में अपना व अपनी पत्नी का पता ढाबां गांव अंकित किया है, जिस बाबत अपीलाण्ट स्वयं का एडमिशन है । अपीलाण्ट ने यह भी नहीं बताया है कि वह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित है जबकि रेस्पोडेण्ट ने अपने कब्जा काश्त एवं के अनुसार प्रश्नगत भूमि की डिक्री प्राप्त की है। चक 4 बीजीपी में जितनी भूमि ली गई है उतनी ही भूमि अपीलाण्ट को चक 1 व 8 बीजीपी में दी गई है। अपीलाण्ट का हिस्सा कम किया गया हो ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुंत नही किया जिससे यह साबित हो कि चक 4 बीजीपी में उसके आधिपत्य व धारण में कोई आराजी हो तथा चक 1 व 8 बीजीपी में जरिये अपीलाधीन आदेश प्राप्त आराजी उसके आधिपत्य व धारण मे नहीं हो। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णिय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 237/2021(2021/00237)

मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह आयु 67 वर्ष जाति जटसिख निवासी मकान नंबर आई ब्लॉक 79 मिनी सचिवालय हनुमानगढ जं0 तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8

बनाम

1. मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मदन सिह पुत्र. श्री गुरदेव सिह
3. रमन दीप सिंह } पुत्रगण श्री मदन सिह
4. प्रीत पाल सिंह
5. जसविन्द्र सिह पुत्र श्री गुरदेव सिह
6. मनदीप सिह पुत्र श्री जसविन्द्र सिह
7. सर्वजीत कोर धर्मपत्नी श्री जसविनद्र सिह
8. सोहन सिंह पुत्र श्री रूड़ सिंह
9. गुरजण्ट सिह
10. दर्शन सिह } पुत्रगण श्री पूर्ण सिह
11. हरदम सिंह
12. सिकन्दर सिंह
13. हरविन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री हरदीश सिंह

} जाति जटसिंह निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

14. कुलदीप सिह पुत्र श्री सुखमहेन्द्र सिह
15. इन्द्रा देवी धर्मपत्नी श्री धर्म सिंह जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
16. जसपाल सिंह पुत्र श्री जगजीत सिह
17. सुरजीत कौर धर्म पत्नी श्री जगजीत सिंह
18. विरेन्द्र कौर
19. वीरपाल कौर } पुत्रियॉ श्री जगजीत सिह
20. भूपेन्द्र कौर
21. जसपाल कौर पत्नी करतार सिंह
22. निर्मल सिंह

} जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

23. केवल सिंह
24. अंग्रेज सिह — पिसरान श्री करतार सिह
25. अमरीका कौर
26. कुलदीप कौर पुत्री करतार सिंह
27. मनदीप कौर पुत्री करतार सिंह
28. सन्ता पुत्र श्री देवा सिंह
29. स्वर्ण सिंह उर्फ बिलू सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह
30. सुलोचना पत्नी हरीश चन्द्र
31. सुशीला देवी पत्नी श्री धर्मवीर
32. मन्जू देवी पत्नी श्री रमन
33. गुरमेल कौर
34. विमला — पुत्रियां श्री रूड़ सिंह
35. प्रकाश कौर
36. बन्तो देवी पत्नी श्री धनीराम
37. शान्ति देवी पत्नी धनीराम
38. जगजीवनराम पुत्र धनीराम
39. पिसर रानी — पुत्रीयां धनीराम
40. रिशी देवी
41. चुनी देवी पुत्री श्री काशीराम
42. हंसराज पुत्र श्री बक्शीराम
43. निरंजनदास पुत्र श्री बक्शीराम

(क्रम 25 से 43 तक) जाति जटसिंह निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ

44. जोगेन्द्र सिह पुत्र श्री हरनाम सिह (फौत)

44/1 इकबाल सिह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/2 करणी सिह पुत्र स्व0 श्री हरदेव सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/3 विजय सिंह पुत्र स्वच0 श्री हरदेव सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/4 छिन्द्रपाल कौर पत्नी श्री स्व0 श्री राजवीर सिह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/5 अजयपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री राज[illegible] जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

44/6 चन्द्रप्रीत कौर पुत्री [illegible] जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

44/7 कौर सिह पुत्र स्व0 श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

45. जसविन्द्र सिह पुत्र श्री सिकन्दर सिह
46. जगविन्द्र सिंह पुत्र श्री सिकन्दर सिह
47. रणजीत सिंह पुत्र श्री बुटासिंह
48. छिन्द्र कौर पुत्री जय सिह
49. वीरो कौर पुत्र श्री जय सिह
50. छोटो कौर पुत्री जय सिंह
51. बिन्द्र कौर पुत्री जय सिह
52. भोला कौर पुत्री जय सिह
53. रानी देवी पुत्री श्री जय सिंह
54. हाकम सिंह पुत्र श्री बग्गा सिह
55. अमरजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिह
56. दर्शन सिह पुत्र श्री दयाल सिह
57. गुरनायब सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह
58. काला सिह पुत्र श्री लाभ सिंह

} जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

59. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक
60. ओरियण्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक
61. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमागनढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021, प्र. सं. 414/2019
अनवान मिठू सिंह बनाम मदन सिह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द्र वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट, श्री खुशप्रीत सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 61 की बहस समायत की जाकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2021 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.5.22 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:47 IST
Reason: SelfAttested

23/5/22
(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़